प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 09 मई, 2025

विषय:- केन्द्रीय कारागार, नैनी प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी छोटे कांछी पुत्र श्री गंगा प्रसाद कांछी (गंगा प्रसार कांछी), निवासी जनपद-हमीरपुर की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक, (मु0) कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या-14172/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/आ0प्रस्त0/2023, दिनांक 28.04.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, नैनी प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी छोटे कांछी पुत्र श्री गंगा प्रसाद कांछी (गंगा प्रसार कांछी), मो0 गुरगुज, थाना-सुमेरपुर, जनपद-हमीरपुर का निवासी है। बंदी द्वारा दिनांक 21.05.2002 को कु0 काजल उम्र 05 वर्षीय अवोध बच्ची (काजल) के साथ जबरदस्ती बलात्कार किया जिससे उसकी मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र संख्या-111/2002 में भा0द0वि0 की धारा-302, 376 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय संख्या-1, हमीरपुर के आदेश दिनांक 05.05.2005 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया। बंदी द्वारा दिनांक 15.12.2020 तक अपरिहार 18 वर्ष, 06 माह 23 दिन तथा सपरिहार 23 वर्ष, 06 माह 15 दिन की सजा भोग ली गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, हमीरपुर की अध्यक्षता में सम्पन्न जिला स्तरीय समिति के बैठक दिनांक 11.10.2021 में जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। तथा पुलिस अधीक्षक द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध गम्भीर और जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है जो समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने का अंकन किया गया है। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उक्त आख्या से सहमति व्यक्त करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि दिनांक 21.05.2002 को बन्दी ने 05 वर्षीय बालिका कु0 काजल के साथ बलात्कार कर हत्या करने का जघन्यतम अपराध किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने का अंकन पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जनपदीय अधिकारियों द्वारा समिति व निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत जिनसे रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी छोटे काछी पुत्र श्री गंगा प्रसाद कांछी (गंगा प्रसार कांछी) को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, नैनी प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी छोटे कांछी (बंदी संख्या-340/21) पुत्र श्री गंगा प्रसाद कांछी (गंगा प्रसार कांछी), निवासी जनपद-हमीरपुर के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-457/2025/1246(1)/22-2-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, हमीरपुर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी प्रयागराज।
3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।
4- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
5- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-457/2025/1246/22-2-2023-17(1736)/2022

दिनांक 09 मई, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, नैनी प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी छोटे कांछी पुत्र श्री गंगा प्रसाद कांछी (गंगा प्रसार कांछी), मो0 गुरगुज, थाना-सुमेरपुर, जनपद-हमीरपुर का निवासी है। बंदी द्वारा दिनांक 21.05.2002 को कु0 काजल उम्र 05 वर्षीय अवोध बच्ची (काजल) के साथ जबरदस्ती बलात्कार किया जिससे उसकी मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र संख्या-111/2002 में भा0द0वि0 की धारा-302, 376 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय संख्या-1, हमीरपुर के आदेश दिनांक 05.05.2005 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया। बंदी द्वारा दिनांक 15.12.2020 तक अपरिहार 18 वर्ष, 06 माह 23 दिन तथा सपरिहार 23 वर्ष, 06 माह 15 दिन की सजा भोग ली गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, हमीरपुर की अध्यक्षता में सम्पन्न जिला स्तरीय समिति के बैठक दिनांक 11.10.2021 में जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। तथा पुलिस अधीक्षक द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध गम्भीर और जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है जो समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने का अंकन किया गया है। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उक्त आख्या से सहमति व्यक्त करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि दिनांक 21.05.2002 को बन्दी ने 05 वर्षीय बालिका कु0 काजल के साथ बलात्कार कर हत्या करने का जघन्यतम अपराध किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने का अंकन पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जनपदीय अधिकारियों द्वारा समिति व निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत जिनसे रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी छोटे काछी पुत्र श्री गंगा प्रसाद कांछी (गंगा प्रसार कांछी) को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।